

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge -I, Jamui

Pg. 1

A.B.P. No. 698/2026

Jhajha P.S. case no. 559/2022
Sanjay Ravidas & others Vs. State of Bihar

ORDER.

07.07.2026

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव द्वारा जमानत आवेदन वापस लेने हेतु एक आवेदन दिया। उनका कथन है कि अनुसंधानकर्ता ने घटना को असत्य दर्शाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया है, इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक को इस जमानत आवेदन की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वापसी के आधार पर इस जमानत आवेदन को निस्तारित किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष
न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
जमुई।

प्रति:— विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष
न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
जमुई।